न्यूज़ टुडे

संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता से आर्मेनिया-अज़रबैजान शांति समझौता संपन्न हुआ

इस समझौते का उद्देश्य **दक्षिण काकेशस क्षेत्र के दो देशों के बीच दशकों से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त** करना है।

इस समझौते के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **संघर्ष की समाप्ति:** दोनों देशों ने सशस्त्र संघर्ष खत्म करने और राजनयिक संबंध स्थापित करने पर सहमति जताई।
- **"ट्रम्प रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रोस्पेरिटी" (TRIPP) मार्ग:** आर्मेनियाई क्षेत्र से होकर अज़रबैजान को उसके एक्सक्लेव **नखचिवन** से जोड़ने वाला **नया ट्रांजिट मार्ग** बनाया जाएगा।
  - इस मार्ग के विकास का **अनन्य अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका** के पास होगा।
- **अमेरिकी सहयोग समझौते:** दोनों देशों ने **ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था में सहयोग** बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अलग-अलग समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए।

संघर्ष की पृष्ठभूमि

आर्मेनिया-अज़रबैजान संघर्ष मुख्य रूप से **नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र** को लेकर है। यह क्षेत्र अज़रबैजान में **मुख्य रूप से नृजातीय आर्मेनियाई लोगों की आबादी वाला** एक पहाड़ी क्षेत्र है।

- **1980 का दशक:** आर्मेनिया के समर्थन से नागोर्नो-काराबाख अज़रबैजान से अलग हो गया।
- **1991:** दोनों देशों को सोवियत संघ से स्वतंत्रता मिली, लेकिन विवाद जारी रहा।
- **2023:** अज़रबैजान ने पूरे क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया, जिसके कारण लगभग **100,000 आर्मेनियाई लोग** आर्मेनिया पलायन कर गए।

भारत के हित

भारत इस शांति समझौते का समर्थन करता है और इसे वार्ता और कूटनीति के लिए एक **"महत्वपूर्ण उपलब्धि"** मानता है। यह समझौता भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि:

- **आर्मेनिया** इस क्षेत्र का एकमात्र देश है, जिसके साथ भारत की **मैत्री और सहयोग संधि (1995 में हस्ताक्षरित) है।**
- **अज़रबैजान** भारत को मध्य एशिया के माध्यम से रूस से जोड़ने वाले **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा** मार्ग पर स्थित है।

काकोरी ट्रेन कांड की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई

यह घटना **9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ के निकट काकोरी नामक** गांव में घटित हुई थी।

काकोरी कांड के बारे में

- **घटना:** इसमें **शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही नंबर 8 डाउन-ट्रेन से सरकारी खजाना लूटा** गया था। इस **सरकारी धन** का इस्तेमाल ब्रिटिश राज के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए किया जाना था।
- **शामिल प्रमुख क्रांतिकारी: राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, मन्मथनाथ गुप्त और राजेंद्र लाहिड़ी।** ये सभी **हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA)** के सदस्य थे।
- **ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया**
  - **त्वरित एवं कठोर:** बड़ी संख्या में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया और उन पर **काकोरी षडयंत्र केस (1925) के तहत मुकदमा** चलाया गया।
    - **अशफाक उल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा** दी गई।
- **घटना के बाद**
  - इस घटना के बाद, अंग्रेजों द्वारा क्रांतिकारियों के खिलाफ कार्रवाई ने **उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को एक बड़ा झटका** दिया, लेकिन यह उनके आंदोलन को खत्म नहीं कर सका।
  - इसके बाद, HRA का **पुनर्गठन करके उसे 'हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी'** (HSRA) नाम दिया गया।

HRA और HSRA के बारे में

- **HRA का गठन 1924 में कानपुर** में हुआ था।
  - **संबद्ध प्रमुख व्यक्तित्व: राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, सचिन्द्र नाथ बख्शी, सचिन्द्रनाथ सान्याल और जोगेश चंद्र चटर्जी।**
  - **मूल सिद्धांत: संयुक्त राज्य भारतीय संघीय गणराज्य** की स्थापना करना, जिसका प्रमुख आधार **वयस्क मताधिकार होगा।**
- **HSRA का गठन 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला** में किया गया था।
  - **संबद्ध प्रमुख व्यक्तित्व: भगत सिंह, सुखदेव, शिव वर्मा, चंद्रशेखर आजाद और विजय कुमार सिन्हा।**
  - **मूल सिद्धांत: समाजवादी गणराज्य** की स्थापना करना।

IIT-रुड़की के शोधकर्ताओं ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध से निपटने के लिए एक दवा विकसित की

इस नई मॉलिक्यूल/ दवा का नाम **कंपाउंड 3b** है। यह प्रीक्लिनिकल मॉडल में **एंटीबायोटिक प्रतिरोध तंत्र को नष्ट कर प्रभावी इलाज** की संभावना दिखाती है।

इस खोज की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर

- **कंपाउंड 3b एंटीबायोटिक मेरोपेनेम के साथ मिलकर KPC-2 जनित क्लेबसिएला निमोनिया जैसे सुपरबग्स के संक्रमण** का इलाज करता है। **क्लेबसिएला निमोनिया** को विश्व स्वास्थ्य संगठन के शीर्ष प्राथमिकता वाले खतरों में सूचीबद्ध किया गया है।
  - **कंपाउंड 3b मॉलिक्यूल, β-लैक्टामेज़ इनहिबिटर दवाओं की श्रेणी में आता है।**
    - **बीटा-लैक्टामेज़ इनहिबिटर** दवाओं की एक श्रेणी है, जो **बीटा-लैक्टामेज़ एंजाइमों** की क्रियाशीलता को रोकती है। इससे **बीटा-लैक्टाम एंटीमाइक्रोबियल्स पदार्थों** का क्षरण नहीं होता है।
      - बीटा-लैक्टामेज़ इनहिबिटर की **स्वयं की एंटीबायोटिक क्रियाशीलता बहुत कम** होती है। बीटा-लैक्टामेज़ एंजाइमों को **बीटा-लैक्टामेज़** भी कहा जाता है।
    - **बीटा-लैक्टामेज़** वे एंजाइम होते हैं, जो **बीटा-लैक्टाम रिंग को निष्क्रिय** कर देते हैं। बीटा-लैक्टाम रिंग सभी **बीटा-लैक्टम एंटीमाइक्रोबियल्स** की एक सामान्य **रासायनिक संरचना है।**

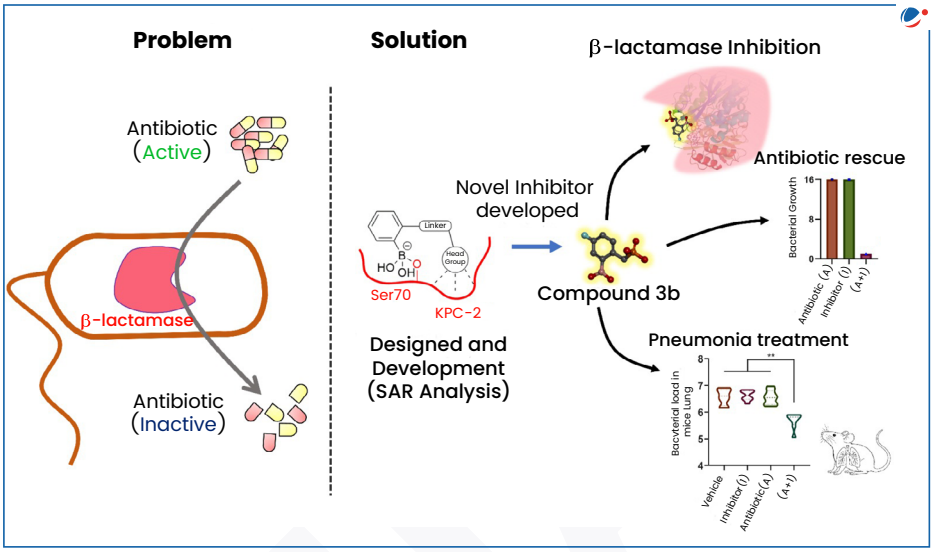

एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (AMR) के बारे में

- **अर्थ:** यह तब होता है, जब **बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी पर एंटीमाइक्रोबियल दवाओं का असर नहीं** होता है।
  - एंटीमाइक्रोबियल्स में **एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटीफंगल और एंटीपैरासिटिक दवाएं** शामिल हैं। ये मानव, पशु और पौधों में संक्रामक रोगों का इलाज एवं रोकथाम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं।
- **इसके परिणाम:** इससे एंटीबायोटिक्स और अन्य एंटीमाइक्रोबियल दवाएं **अप्रभावी** हो जाती हैं, जिससे **बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़** जाता है। इसके साथ ही, इससे आर्थिक रूप से भी भारी नुकसान होता है।
  - विश्व बैंक के अनुसार, AMR के कारण **2050 तक स्वास्थ्य देखभाल पर 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** का अतिरिक्त खर्च हो सकता है।
- **AMR हेतु जिम्मेदार प्रमुख कारक:** इसमें सक्रिय औषध सामग्री (APIs) के उत्पादन से उत्पन्न औद्योगिक अपशिष्ट; लैंडफिल लीचेट; अनुपचारित अपशिष्ट जल; सीवेज अपशिष्ट, आदि शामिल हैं।
- **AMR की रोकथाम हेतु शुरू की गई पहलें:** वन हेल्थ एप्रोच; AMR पर वैश्विक कार्य योजना (GAP) को विश्व स्वास्थ्य संगठन की **विश्व स्वास्थ्य महासभा (2015)** के दौरान अपनाया गया, आदि।

भारत की सफल संरक्षण रणनीति से एशियाई शेरों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है

पिछले दशक में, भारत में एशियाई शेरों की आबादी में **70%** की वृद्धि देखी गई है। एशियाई शेरों की संख्या **1990 में 284** थी, जो बढ़कर **2025 में 891** हो गई है।

एशियाई शेर के बारे में

- **पर्यावास: गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र** के दक्षिण-पश्चिमी भाग में **शुष्क पर्णपाती वन और खुली घास वाली झाड़ियां।**
  - वर्तमान में, **गिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी** ही इनका एकमात्र पर्यावास स्थल है।
- **संरक्षण स्थिति: वल्नरेबल** (IUCN) तथा **अनुसूची-I** (वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972) और **परिशिष्ट-I** (CITES) में सूचीबद्ध।
- **मुख्य विशेषताएं:** ये अफ्रीकी शेरों से **थोड़े छोटे** होते हैं। इनके प्रजनन का **कोई खास मौसम** नहीं होता।

एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए किए गए प्रमुख प्रयास

- **प्रोजेक्ट लायन (2020): पर्यावास में सुधार,** उन्नत तकनीकों **(जैसे- रेडियो-कॉलरिंग और कैमरा ट्रैप)** के माध्यम से निगरानी तथा **मानव-वन्यजीव संघर्ष** को कम करने पर ध्यान देना।
- **ग्रेटर गिर कॉन्सेप्ट:** शेरों के पर्यावास को गिर क्षेत्र से बाहर, जैसे- **गिरनार, पानिया और मितियाला** तक विस्तारित करना।
- **इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस:** शेरों सहित बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता को मजबूत करना।
- **प्रजाति रिकवरी कार्यक्रम:** यह योजना **वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास योजना** का हिस्सा है।

बरदा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में

- **अवस्थिति:** गुजरात के **पोरबंदर और देवभूमि द्वारका** जिले।
- **महत्त्व:** 192.31 **वर्ग किमी** के छोटे से वन क्षेत्र के बावजूद यहां कई औषधीय पादप पाए जाते हैं। साथ ही, यह एक **महत्वपूर्ण जैव-विविधता वाला क्षेत्र** भी है।
  - बरदा, एशियाई शेरों के लिए **दूसरा पर्यावास स्थल** बनकर उभर रहा है।
- **अभयारण्य घोषित:** 1979 में।
- **मुख्य वनस्पति:** गोरड़, बबूल, धव, रेयान, बेर, जामुन, अमली, धुधलो, बांस, आदि।
- **मुख्य जीव-जंतु:** सांभर, चीतल, चिंकारा, आदि।

अमेरिकी वर्चस्व (Hegemony) के एक उपकरण के रूप में आर्थिक प्रतिबंध

RBI के पूर्व गवर्नर डॉ. **उर्जित पटेल** के एक शोध-पत्र के अनुसार, **भू-राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आर्थिक दबाव का उपयोग** करना संयुक्त राज्य अमेरिका की एक पुरानी नीति रही है, जो **राष्ट्रपति ट्रंप के काल में और भी बढ़** गई है।

- कई वर्षों से, अमेरिका ने **वेनेजुएला, ईरान, इराक, लीबिया, सूडान और सीरिया** से तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगाए हैं।

शोध-पत्र के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **आर्थिक युद्ध के रूप में प्रतिबंध:** व्यापार, शिपिंग, बैंकिंग और भुगतान माध्यमों पर आर्थिक प्रतिबंध, कूटनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सैन्य युद्ध का एक बेहतर विकल्प हैं।
- **संख्या में वृद्धि, पर प्रभाव सीमित:** 21वीं सदी में प्रतिबंधों की संख्या बढ़ने के बावजूद, ये प्रतिबंध **कूटनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने में ज्यादातर असफल** रहे हैं।
  - वर्ष 2000 के बाद लगाए गए 687 **प्रतिबंधों में से 20% से भी कम पूरी तरह सफल** हुए हैं।

अमेरिकी प्रतिबंधों की प्रभावशीलता मुख्य रूप से निम्नलिखित पर निर्भर करती है

डॉलर वर्चस्व:	वित्तीय नियंत्रण:	भुगतान नेटवर्क:
वैश्विक रिजर्व मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर की भूमिका।	अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणालियों में अमेरिका की केंद्रीय स्थिति।	डॉलर आधारित कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग सिस्टम का एक "स्विच" की तरह उपयोग करके वैश्विक लेन-देन को नियंत्रित करना।

- **द्वितीयक प्रतिबंधों का उदय:** ये **राज्यक्षेत्रातीत (Extraterritorial)** होते हैं। इनका उद्देश्य उन **तीसरे देशों की आर्थिक गतिविधियों पर रोक** लगाना होता है, जो प्रत्यक्ष रूप से **प्राथमिक प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं** कर रहे होते हैं।
  - अमेरिका और उसके सहयोगी (G-7, EU आदि) इन द्वितीयक प्रतिबंधों का उपयोग प्रतिबंधित देशों के साथ **तीसरे पक्ष के व्यापार को रोकने** के लिए करते हैं।
  - **प्रमुख उदाहरण:**
    - **चाबहार बंदरगाह (ईरान):** अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारतीय निवेश प्रभावित हुआ।
    - **रूस में तेल संबंधी निवेश:** अमेरिकी/ यूरोपीय संघ के भुगतान प्रतिबंधों के कारण भारतीय सरकारी कंपनियां **900 मिलियन डॉलर** का लाभांश प्राप्त नहीं कर पा रही हैं।

भारत के लिए सुझाव: भारत को **ब्रिक्स (BRICS) और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB)** के जरिये उभरती अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना को **"जोखिम कम करने वाले उपाय"** तथा लगातार बढ़ते प्रतिबंधों की व्यवस्था के खिलाफ एक **तर्कसंगत प्रतिक्रिया** के रूप में देखना चाहिए।

अन्य सुर्खियां

असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेज (SDPs)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेज** के अंतर्गत **4 नए घटकों को मंजूरी दी है।**

- नए घटक **असम में जनजातीय, दिमासा, उल्फा (ULFA) क्षेत्रों** तथा **त्रिपुरा में जनजातीय समुदायों के विकास** पर केंद्रित हैं।

असम और त्रिपुरा के लिए 'विशेष विकास पैकेज' के बारे में

- **योजना का प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक योजना
- **उद्देश्य:**
  - कमजोर और वंचित समुदायों की **सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना।**
  - युवाओं और महिलाओं के लिए **रोजगार अवसर, स्वास्थ्य देखभाल सेवा, शिक्षा, कौशल और आजीविका के साधन** को बढ़ावा देना।
  - **अधिक पर्यटकों को आकर्षित करना,** रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करना।

यह योजना **बोडो और कार्बी समूहों के लिए हुए पूर्व में 'समझौता-आधारित' विकास पैकेज की तरह है, जिनसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति स्थापना के बेहतर परिणाम सामने आए हैं।**

साइंस, हेल्थ एंड इनोवेशन फॉर नेक्स्टजेन एक्सप्लोरर्स (SHINE) कार्यक्रम

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ने SHINE **प्रोग्राम** का आयोजन किया।

SHINE कार्यक्रम के बारे में

- **उद्देश्य:** विद्यार्थियों को स्वास्थ्य देखभाल और जैव-चिकित्सा अनुसंधान से परिचित कराना। साथ ही, युवाओं को विज्ञान और लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना।
- **गतिविधियां: गाइडेड लैब टूर, शोध प्रदर्शनी, पोस्टर वॉक,** आदि शामिल हैं।
- **भागीदारी:** इस कार्यक्रम में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के 13,000 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया।
- **महत्त्व:** यह कार्यक्रम विद्यार्थियों में **विज्ञान के प्रति जिज्ञासा जगाने, नवाचार को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य क्षेत्र में शोधकर्ताओं की आगामी पीढ़ी को प्रेरित** करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

एक सींग वाला गैंडा (Greater One-Horned Rhino)

IUCN-TRAFFIC की हालिया रिपोर्ट ने गैंडा संरक्षण में भारत की बेहतर निगरानी और पर्यवेक्षण की सराहना की है। रिपोर्ट के अनुसार, इन प्रयासों से **एक सींग वाला गैंडा के शिकार में भारी कमी** दर्ज की गई है।

- TRAFFIC एक **अग्रणी गैर-सरकारी संगठन** है। यह वैश्विक स्तर पर वन्य जीवों और पादपों के व्यापार पर निगरानी रखता है। इसका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास, दोनों है।
  - इस संगठन का संचालन **वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF)** और IUCN द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

'एक सींग वाला गैंडा' के बारे में

- **विशेषताएं:** एक सींग, मोटी कवच जैसी त्वचा।
- **आहार:** यह घास, पत्तियां, फल और जलीय पौधे खाता है।
- **आकार:** विश्व में गैंडे की पांच प्रजातियों में सबसे बड़ा।
- **प्राप्ति क्षेत्र:** भारत और नेपाल।
- **पर्यावास:** वन, घास के मैदान और अंतर्देशीय आर्द्रभूमि (इनलैंड वेटलैंड्स)।
- **मुख्य खतरे:** आनुवंशिक विविधता में कमी, पर्यावास का नुकसान और नष्ट होना।

संरक्षण स्थिति

- IUCN रेड लिस्ट: वल्नरेबल
- CITES: परिशिष्ट-1
- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** अनुसूची-1

संरक्षण हेतु भारत की प्रमुख पहलें

- भारतीय एक-सींग वाले गैंडे के लिए राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति (2019)।
- इंडियन राइनो विजन (IRV) 2020।

कैंसर AI एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज (CATCH) ग्रांट प्रोग्राम

इंडियाAI मिशन ने कैंसर एआई एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज (CATCH) शुरू करने की घोषणा की है।

- 'इंडिया AI मिशन' केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) का एक प्रमुख मिशन है ।

कैंसर AI एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज (CATCH) ग्रांट प्रोग्राम के बारे में

- **उद्देश्य:** भारत में कैंसर देखभाल क्षेत्र में AI समाधानों के सत्यापन और उपयोग को तेजी से आगे बढ़ाना।
- **सहयोग:** यह राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड (NCG) के साथ साझेदारी में एक संयुक्त नवाचार अनुदान प्रोग्राम के रूप में शुरू किया गया।
- **समर्थन:** चुने गए प्रोजेक्ट्स को तय किए गए चरणों की उपलब्धियों के आधार पर 50 लाख रुपए तक की पायलट फंडिंग मिलेगी।
  - साथ ही, उन्हें मार्गदर्शन (मेंटॉरशिप), कैंसर के इलाज से जुड़े क्लीनिकल वेलिडेशन साइट्स तक पहुंच, और अपने कार्य को NCG नेटवर्क व इंडिया AI समर्थित सार्वजनिक चैनलों के जरिए प्रसार का अवसर मिलेगा।

पशु स्टेम सेल बायोबैंक

भारत के पहले अत्याधुनिक 'पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला' का उद्घाटन राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (NIAB), हैदराबाद में किया गया।

- स्टेम कोशिकाएं किसी भी प्रकार की नई कोशिकाओं में तब्दील हो सकती हैं। इनमें स्व-पुनर्नवीकरण क्षमता और पोटेंसी के आधार पर अलग-अलग प्रकार की कोशिकाएं में बदलने की क्षमता अन्तर्निहित होती हैं।

पशु स्टेम सेल बायोबैंक के बारे में

- **मुख्य विशेषताएं:** स्टेम सेल कल्चर यूनिट, 3D बायोप्रिंटर, बैक्टीरियल कल्चर लैब, क्रायोस्टोरेज, आदि।
- **महत्व:** पशुधन के लिए रीजेनरेटिव मेडिसिन और सेल थेरेपी पर ध्यान केंद्रित करना, डिजिज मॉडलिंग, टिशू इंजीनियरिंग, आदि में अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- **सहायता:** इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग और 'जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC)' की राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन (NBM) के तहत सहायता प्रदान की जाएगी।
  - NBM को 2017 में उद्योग और अकादमिक जगत के मध्य सहयोग आधारित मिशन के रूप में मंजूरी दी गई थी। इसका उद्देश्य बायोफार्मास्यूटिकल विकास को तेज करना है।

नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA)

हाल ही में, नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) की शुरुआत की 5वीं वर्षगांठ मनाई गई।

- **नोडल मंत्रालय:** केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE)
- **शुरुआत:** इसे 2020 में "नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन (NAPDDR) " के अंतर्गत एक प्रमुख पहल के रूप में शुरू किया गया।
  - संविधान का अनुच्छेद 47 राज्यों को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन को रोकने का निर्देश देता है।
- **उद्देश्य:** लोगों को नशीले पदार्थों का सेवन करने से रोकना, प्रभावित लोगों का इलाज और पुनर्वास करना।
- **कवरेज:** शुरुआत में, इसका लक्ष्य 272 सबसे अधिक प्रभावित जिलों को कवर करना था। हालांकि, अब यह देशभर के सभी जिलों में लागू है।
- **तीन-सूत्रीय रणनीति:**
  - **मादक पदार्थों की आपूर्ति रोकना:** नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा संचालित।
  - **मांग में कमी और जागरूकता:** केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित।
  - **उपचार और पुनर्वास:** केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रबंधित।
- **स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन:** जिला कलेक्टर या मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला नशा मुक्त समितियां स्थानीय कार्ययोजनाएं तैयार करती हैं और संचालित करती हैं।

प्रधान मंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (PM E-DRIVE) योजना

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय पीएम ई-ड्राइव योजना की अवधि 31 मार्च 2026 से आगे दो वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक कर दी है।

पीएम ई-ड्राइव योजना के बारे में

- **उद्देश्य:** इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने में तेजी लाना, चार्जिंग अवसंरचना का निर्माण करना और देश में EV विनिर्माण क्षमता को बढ़ाना।
- **योजना का प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक योजना।
- **लक्ष्य:** इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन, इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और ई-बस के संचालन को प्रोत्साहन देना।
- **योजना के मुख्य घटक:**
  - इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन, इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य नई EV श्रेणियों की मांग के आधार पर आर्थिक प्रोत्साहन।
  - **पूंजीगत परिसंपत्ति की स्थापना के लिए अनुदान:** ई-बसों के लिए फंडिंग, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एजेंसियों का आधुनिकीकरण।
  - **प्रशासनिक सहायता:** सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियों में आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा परियोजना प्रबंधन एजेंसी शुल्क।

बहु-विषयक शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान सुधार (MERITE) योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन' यानी MERITE योजना के लिए बजटीय सहायता को मंजूरी दी ।

MERITE योजना के बारे में

- **योजना का प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक योजना
- **नोडल मंत्रालय:** केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय
- **उद्देश्य:** सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता, प्राप्ति में समानता और गवर्नेंस में सुधार करना।
  - यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है।
- **बजट:** 2025-26 से 2029-30 तक की अवधि के लिए 4200 करोड़ रुपये।
  - विश्व बैंक से ऋण के रूप में 2100 करोड़ रुपये की बाह्य सहायता शामिल है।
- **लाभार्थी:** 275 तकनीकी संस्थान, जिनमें 175 इंजीनियरिंग संस्थान और 100 पॉलिटेक्निक संस्थान शामिल हैं।
- **महत्व:** मेकर लैब्स, कौशल केन्द्र, रोजगारपरकता, आदि के लिए समर्थन।

प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2025-26 तक 14.2 किलोग्राम के प्रत्येक एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपये की लक्षित सब्सिडी जारी रखने को मंजूरी दी। यह सब्सिडी एक वर्ष में अधिकतम 9 रिफिल तक दी जाएगी।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के बारे में

- **शुरुआत:** 2016 में।
- **कार्यान्वयन मंत्रालय:** केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- **उद्देश्य:** ग्रामीण और वंचित परिवारों को खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन (LPG) उपलब्ध कराना।
- **पात्र लाभार्थी:** गरीब परिवारों की वयस्क महिलाएं।
- **लक्ष्य:** मार्च 2020 तक ग्रामीण गरीबों को 8 करोड़ LPG कनेक्शन देना (सितंबर 2019 में लक्ष्य प्राप्त कर लिया)।
  - 1 जुलाई 2025 तक, देश भर में PMUY के तहत लगभग 10.33 करोड़ LPG कनेक्शन दिए जा चुके हैं।